न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 66/2018

अनवान

1. मगना पुत्र श्री कजोड रेगर निवासी पीपली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. रफीक मोहम्मद पुत्र श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
2. अब्दुल रज्जाक पुत्र श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
3. ईदन उर्फ ईदाबाई पुत्र श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
4. छोटी उर्फ वहीदन पुत्र श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
5. अमीदा उर्फ हमीदा पुत्री श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
6. मरियम पुत्र श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
7. मुन्नी पुत्र श्री मेहताब खां पठान निवासी हुसैन कॉलोनी, भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 31—08—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 12.07.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 234 की कृषि भूमि की आ.न. 1245/1115 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.08.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू.अभिलेख निरीक्षक [illegible] भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 234 की कृषि भूमि की आ.न. 1245/1115 रकब[illegible] बिस्वा भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 195[illegible] की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/—पक्षकार [illegible] कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार [illegible] करें।

आदेश आज दिनांक 31/08/2021 को खुले न्यायालय [illegible]नाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:59:21 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)